भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 197

08.12.2022 को उत्तर के लिए

विश्वसनीय पर्यावरणीय संवीक्षा प्रणाली

197. श्री एस. कल्याणसुन्दरम :
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला :
श्री आर. गिरिराजन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन खोजने और नुकसान को कम करने के लिए एक मजबूत, विश्वसनीय पर्यावरणीय संवीक्षा प्रणाली की आवश्यकता से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत का.आ. 1533(अ), तारीख 14.09.2006 के द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना जारी की है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के वर्तमान उपबंधों के अनुसार (i) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं या कार्यकलापों; (ii) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध मौजूदा परियोजनाओं या कार्यकलापों का, संबंधित क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक की क्षमता में वृद्धि करते हुए विस्तार और आधुनिकीकरण अर्थात ऐसी परियोजनाएं या कार्यकलाप, जिनका विस्तारण या आधुनिकीकरण के बाद अनुसूची में दी गई प्रारंभिक सीमाओं का उल्लंघन होता है; और (iii) अनुसूची में शामिल किसी मौजूदा विनिर्माण इकाई में उत्पाद-मिश्रण में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक परिवर्तन करने के लिए, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करना अपेक्षित है। परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने की प्रक्रिया में चार चरण अर्थात् छानबीन, व्यापकता, जन-परामर्श और मूल्यांकन करना शामिल होता है। इस मंत्रालय ने संधारणीय विकास पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक पहलें की हैं तथा नीतियों, नियमों और अधिसूचनाओं में अपेक्षित परिवर्तन किए हैं। ये महत्वपूर्ण पहलें निम्नवत हैं :

i. परिवेश (प्रो-एक्टिव एंड रिस्पॉसिव फैसिलिटेशन बाइ इंटरैक्टिव, वर्चुअस एंड एन्वायरमेंटल सिंगल-विंडो हब) के माध्यम से प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और प्रक्रिया को अधिदेशित किया गया है। परिवेश के द्वारा आवेदन के प्रस्तुतीकरण से आरंभ करते हुए कार्यसूची तैयार करने, कार्यवृत्त तैयार करने के साथ-साथ स्वीकृतियां प्रदान करने तक की समस्त प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया गया है।

ii. इसके द्वारा सभी प्रकार की स्वीकृतियों [पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन ज़ोन (सीआरजेड)] के लिए एकल पंजीकरण को सुविधाजनक बनाया गया है।

iii. पर्यावरणीय सख्ती और सुरक्षोपायों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया गया है तथा समय-समय पर विभिन्न कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए हैं।

****